संं0-04/2022/सा0995/12-6-2022-54/2000

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
3. कृषि निदेशक, उ0प्र0

कृषि अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 02 दिसम्बर, 2022

विषय- **मा0स्व0चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को "किसान सम्मान दिवस" के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पत्रांक-प्रसार/950/कि0स0दि0-2022/2022-23, दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष 2022-23 में भी स्व0चौ0चरण सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को "किसान सम्मान दिवस" के रूप में दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को समुचित निष्ठा एवं गरिमा के साथ मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- किसान सम्मान दिवस मनाये जाने हेतु कार्यक्रमों की रूप रेखा निम्नांकित रखी जाए-

1. किसान सम्मान दिवस राज्य, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किया जाए।
2. दिनंाक 23-12-2022 को राज्य स्तर पर लखनऊ में विधान भवन के प्रांगण/लोक भवन में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उक्त अवसर पर मा0मुख्यमंत्री जी, मा0 कृषि मंत्री जी/ मा0 कृषि राज्य मंत्री जी व अन्य मा0मंत्रीगण को आमंत्रित किया जाए। लखनऊ में आयोजित होने वाले समस्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम मण्डलायुक्त, लखनऊ की देखरेख में सम्पन्न होंगे।
3. "किसान सम्मान दिवस" के उपलक्ष्य में किसान गोष्ठी एवं किसान प्रदर्शनी आयोजित की जाए और किसानों को सम्मानित किया जाए।
4. राज्य स्तर पर कुल 45 कृषकों को पुरस्कृत किया जायेगा-

I. रबी एवं खरीफ की फसलों में 10 प्रथम पुरस्कार, 10 द्वितीय पुरस्कार एवं 10 तृतीय पुरस्कार दिए जायेगें।
II. प्रगतिशील महिला कृषक श्रेणी में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों हेतु 03 महिला कृषकों को क्रमश: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए जायेगें।
III. कृषक उत्पादक संगठन (FPO)/कृषि निर्यातक श्रेणी अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु क्रमश: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए जायेगें।
IV. प्राकृतिक खेती श्रेणी अन्तर्गत प्राकृतिक खेती में विशिष्ट कार्यों हेतु तीन कृषकों को समान रूप से पुरस्कृत किया जायेगा।
V. औद्यानिक खेती (आम, केला, टमाटर, प्याज एवं आलू) की उत्पादकता को प्रोत्साहित करने तथा संरक्षित खेती को बढावा देने के उददेश्य से प्रदेश में इन श्रेणियों में 3-3 कृषकों को (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) पुरस्कार दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. राज्य स्तर पर पराली प्रबन्धन में उत्कृष्ट कार्यों हेतु अधिकारियों को, कृषि अवसरंचना निधि (एग्रीकल्चरल इन्फास्ट्रक्चर फण्ड) अन्तर्गत लाभार्थी/उद्यमियों को तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक श्रेणी में 03-03 व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा।
6. राज्य स्तर/मुख्य समारोह में पुरस्कृत/सम्मानित किए जाने हेतु कृषि निदेशक, उ0प्र0 एक परिपत्र जारी कर संबंधित श्रेणी में संस्तुति ससमय प्राप्त कर सुविचारित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे।
7. जनपद स्तर पर कुल 38 कृषकों को पुरस्कृत किया जायेगा-

I. कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तर पर रबी 2021-22 हेतु दो फसलों पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिया जायेगा।
II. खरीफ 2022 के लिए भी दो फसलों पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार अधिकतम उत्पादकता के आधार पर दिया जायेगा।
III. जनपद स्तर पर खरीफ 2022 में न्यूट्री सीरियल श्रेणी अन्तर्गत ज्वार एवं बाजरा फसल में आच्छादित जनपदों में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिए जायेगें, जिसके अन्तर्गत ज्वार फसल में 05 जनपद क्रमशः कानपुर नगर, कानपुर देहात, बाँदा, हमीरपुर एवं चित्रकूट तथा बाजरा फसल में 19 जनपद क्रमशः बुलन्दशहर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूँ, सम्भल, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, जालौन, प्रयागराज, प्रतापगढ, गाजीपुर एवं मिर्जापुर जनपद आच्छादित है।
IV. जनपद स्तर पर 03 सहयोगी विभागों में से प्रत्येक हेतु 04 प्रथम एवं 04 द्वितीय पुरस्कार दिए जायेगें। इस प्रकार सहयोगी विभागों के चयनित कृषकों को कुल 24 पुरस्कार वितरित किए जायेगें।
V. प्राकृतिक खेती श्रेणी अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिया जायेगा।

8. विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड से विभिन्न उद्यमों में लगे अधिकतम 05 कृषकों को पुरस्कृत किया जायेगा, जिसमें 01 कृषक कृषि विभाग से एवं 01-01 प्रगतिशील कृषक 04 सहयोगी विभागों (उद्यान, रेशम, गन्ना, पशुपालन एवं मत्स्य आदि) से पुरस्कृत किए जायेगें।
9. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित "किसान सम्मान दिवस" के अयोजन पर कृषि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में आने वाले सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों पर किसान विकास गोष्ठी एवं प्रदर्शनी तथा किसान मेलों का आयोजन करेंगे। इन आयोजनों में मुख्य अतिथि के रूप में संबंधित जनपद के मा0मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को अपने स्तर से आमंत्रित करेंगे।
10. कृषि एवं सम्बद्ध विभाग यथा सहकारिता विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, दुग्ध विकास विभाग, रेशम विभाग एवं गन्ना विभागों को "किसान सम्मान दिवस" कार्यक्रम एवं विकास गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करायी जाय।
11. विगत वर्षों की भांति प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर जनपद स्तर पर दिनांक 23-12-2022 को "किसान सम्मान दिवस" के आयोजन पर किसान गोष्ठी एवं कृषि प्रदर्शनी आयोजित करेंगे।
12. "किसान सम्मान दिवस" के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों हेतु प्रदेश शासन के नोडल अधिकारी, कृषि निदेशक, उ0प्र0 होगें।

कृपया उपरोक्तानुसार "किसान सम्मान दिवस" पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-04/2022/सा0995/12-6-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी को मा0 कृषि मंत्री के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 कृषि राज्य मंत्री जी को मा0 कृषि राज्य मंत्री के अवलोकनार्थ।
5. मा0 आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, योजना भवन, लखनऊ।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना विभाग,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13. निदेशक, पशुपालन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
14. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारिता भवन, लखनऊ।
15. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
16. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।
17. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 भूमि सुधार निगम/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एग्रो, लखनऊ।
18. निदेशक, उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
19. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
20. कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या।
21. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
22. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ।
23. कुलपति, सैम हिंग्गिन बाटम् इन्स्ट्ीट्यूट आफ एग्रीकल्चर टेक्नोलाॅजी एण्ड साइन्सेंज, नैनी प्रयागराज।
24. कुलपति, बाॅदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाॅदा।
25. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
26. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0, लखनऊ।
27. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ।
28. परियोजना समन्वयक, यू0पी0डास्प, लखनऊ।
29. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
30. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।
31. समस्त उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।
32. कृषि/कृषि विपणन एवं कृषि शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग।

आज्ञा से,
देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in